भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5329
दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

5329. श्री कीर्ति आजाद:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईसएस) के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय और अपेक्षित क्षमता वृद्धि सहित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024-25 में 96 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमान में 46 करोड़ रुपए तक निधि आवंटन में कमी के क्या कारण हैं और अब तक शून्य व्यय के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2027-28 तक 13200 मेगावाट-घंटे के लक्ष्य के समय पर कार्यान्वयन और उसको प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर योजना के प्रभाव और बुनियादी ढ़ाचे की लागत में कमी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निधि का इष्टतम उययोग सुनिश्चित करने और देरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीईएसएस के विकास का सहयोग करने के लिए दिनांक 6 सितंबर 2023 को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) स्कीम को अनुमोदित किया। स्कीम के अनुसार, वर्ष 2023-26 के दौरान अनुमोदित बीईएसएस के लिए वीजीएफ सहायता प्रदान की जाएगी। निधि संवितरण 5 किस्तों में होगा: परियोजना के वित्तीय समापन पर 10%, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) की उपलब्धि पर 45%, और सीओडी से अगले 3 वर्षों में प्रति वर्ष 15%। बैटरी की कीमतों में गिरावट के साथ स्कीम की क्षमता 3,760 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजटीय आवंटन के भीतर रहते हुए 4000 मेगावाट से बढ़ाकर 13,200 मेगावाट कर दी गई है।

(ख) : वित्तीय समापन पर 10% संवितरण मानते हुए, वर्ष 2024-25 में 1000 मेगावाट बीईएसएस के लिए 96 करोड़ रु का बजटीय प्रावधान किया गया था। हालांकि, बीईएसएस लागत में गिरावट के साथ, वीजीएफ राशि 96 लाख रु प्रति मेगावाट घंटा (वर्ष 2023-24 में अनुमानित) से घटकर 46 लाख रु प्रति मेगावाट घंटा या पूंजीगत लागत की 30%, जो भी कम हो, हो गई। परिणामस्वरूप, बजटीय आवंटन को 96 करोड़ रु से संशोधित कर 46 करोड़ रु कर दिया गया। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय समापन के बाद वीजीएफ का 10% वितरित किया जाना है। चूंकि, कोई भी परियोजना वित्तीय समापन हासिल नहीं कर सकी, इसलिए वर्ष 2024-25 के दौरान स्कीम के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) और (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) स्कीम की निगरानी के लिए उत्तरदायी है, जबकि विद्युत मंत्रालय समय पर पूर्णता और कुशल निधि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्कीम की देखरेख करता है।

(घ) : राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 का अनुमान है कि वर्ष 2031-32 तक 236 गीगावाट घंटा बीईएसएस की आवश्यकता होगी। यह स्कीम नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण का समर्थन करेगी तथा गैर-सौर घंटों में अधिकतम मांग अवधि के दौरान लागत को न्यूनतम करने में मदद करेगी।

****